

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025-26/अलेसे-11/249

दिनांक:- 11.06.2025

आदेश संख्या:- 334/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2008-09) की सिफारिशों के आधार पर श्री केसरी चन्द सेठिया (सेवानिवृत्त), कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 218/1983 लिंक नं. 1169 जन्मतिथि 05.07.1956) का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के रिक्ति वर्ष 2008-09 के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु उपनिबंधक जांच राजस्व मण्डल अजमेर के ज्ञापन दिनांक 26.07.2007 द्वारा सीसीए नियम-16 व 18 के तहत संयुक्त जांच प्रस्तावित कर आरोप पत्र जारी किये जाने कारण पदोन्नति नतीजे का बन्द लिफाफा किये जाने की अनुशंसा की गई थी। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री केसरी चन्द सेठिया (सेवानिवृत्त), कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध सीसीए नियम-16 व 18 में जारी ज्ञापन दिनांक 26.07.2007 में कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 13.02.2025 के द्वारा अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण को समाप्त किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-3600 में स्थानापन्न रूप से की जाती है। इनकी वरिष्ठता श्री मान सिंह शेखावत एवं श्री गिरधारी लाल शर्मा के मध्य रहेगी।

श्री केसरी चन्द सेठिया (सेवानिवृत्त), को लेखाकार (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर चयन वर्ष 2008-09 से इस आदेश की पालना में इस आदेश दिनांक तक पदोन्नति पद का वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2025-26/अलेसे-11/249

दिनांक:- 11.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कार्मिक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)